न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या –62 / 2017
(आर.सी.एम.एस.पोर्टल नं.–2017 / 00176)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
उपखण्ड अधिकारी, नागौर		1. अली असगर पुत्र अब्दुल खलील अंसारी जाति मुसलमान अंसारी निवासी बाजरवाडा मुल्तानी मस्जिद के पीछे, नागौर 2. सर्व साधारण मुस्लिम समाज, नागौर

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां।
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री पीर मोहम्मद।

आदेश दिनांक 11-1-18

प्रार्थी ने जरिये राजपैरोकार के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 (अ) सपठित धारा 12 राजस्थान धार्मिक भवन एंव स्थल अधिनियम 1954 के तहत सार्वजनिक भूमि पर किए अनाधिकृत निर्माण को हटानें बाबत पेश किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जिसमें दिये गये तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात उचित पाये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिनियम 1954 के प्रावधान के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या एक की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, जो दिनांक 02.11.2017 को तामील होकर शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या–2 सर्व साधारण मुस्लिम समाज नागौर का नोटिस मय प्रार्थना पत्र की प्रति तारीख पेशी 13.11.2017 वादग्रस्त स्थल पर दिनांक 02.11.2017 को सुबह 10 बजे से 11 बजे ढ़ोल बजाकर रूबरू मौतबिरान पढ़कर सुनाया ओर नोटिस व प्रार्थना पत्र वादग्रस्त स्थल की दिवार पर चिपकाकर चस्पा किया गया एवं अप्रार्थी संख्या–2 सर्व साधारण मुस्लिम समाज नागौर का एक नोटिस मय प्रार्थना पत्र की प्रति तारीख पेशी 13.11.2017 जिला कलक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 02.11.2017 को चस्पा कर बाद चस्पानगी के नोटिस की एक प्रति शामिल पत्रावली है। तारीख पेशी दिनांक 13.11.17 को अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री पीरमोहम्मद ने वकालतनामा पेश किया एवं वकील श्री गोतम नायक ने श्रीमती वहिदा पत्नी स्व0 श्री हनीफ खां निवासी भाटी पेट्रोल पम्प के पीछे, पठानों का मौहल्ला नागौर की ओर से वकालतनामा एवं तथा आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया, तत्पश्चात तारीख पेशी 14.12.17 पर उक्त श्रीमति वहीदा पत्नी स्व0 श्री हनीफ एवं उनके अधिवक्ता श्री गोतम नायक को तीन बार आवाजे लगवाई, परन्तु इनके उपस्थित नहीं होने पर श्री गोतम नायक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। उक्त संबंध में अधिवक्ता श्री गोतम नायक द्वारा दिनांक 15.12.2017 को तारीख पेशी 14.12.2017 को अप्रत्यासित घटना के कारण उपस्थित नहीं हो सकने से हाजरी माफी प्रदान कर प्रार्थीया को सुनवाई का एक अंतिम अवसर प्रदान करने का निवेदन किया, जो प्रार्थना पत्र विधि अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अधिनियम 1954 के प्रावधान के

कलक्टर, नागौर

अनुसार नोटिस तामील एवं चस्पानगी की दिनांक से हितबद्ध व्यक्ति को 15 दिवस का समय दिया जाने का प्रावधान है।

हस्तगत प्रकरण में वकील अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से दिनांक 13.11.17 को वकालतनामा पेश किया जाकर तारीख पेशी 18.12.17 को प्रार्थना पत्र का जबाब व आपत्ति प्रस्तुत की गई है। दिनांक 08.01.2018 को वकील अप्रार्थी द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत कर मुख्यतः निवेदन किया की हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में भूमि के स्वामित्व बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का एक आवेदन पत्र हस्तगत आवेदन से पूर्व ही सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें मूल दावा की तारीख पेशी 12.1.2018 को नियत है। उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र एवं सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद के पक्षकार एवं विवाद्यक समान ही होने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन की कार्यवाही रोके जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने वकील अप्रार्थी संख्या–1 के आवेदन एवं बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की श्रीमान् सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या–117/17 अली असगर बनाम राज्य वगैरह में पारित आदेश दिनांक 14.10.2017 की पालना में यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्रीमान् सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर ने अपने आदेश दिनांक 14.10.2017 के द्वारा प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण विधिक प्रकिया अपनाकर सक्षम आदेश पारित किये बगैर वादग्रस्त मजार/दरगाह पर किये गये निर्माणात को हटाने अथवा क्षतिग्रस्त नहीं करने हेतु निर्देशित करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि अप्रार्थीगण विधि अनुसार स्वंय में निहित अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग कर विधि अनुसार कोई भी कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। इस प्रकार सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर के उक्त आदेश दिनांक 14.10.2017 की पालना में हस्तगत प्रकरण में सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया जाना उचित होने से अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। राजपैरोकार द्वारा वकील अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किये गये कथन उचित है। हस्तगत प्रकरण में श्रीमान् सिविल न्यायाधीश नागौर के आदेश दिनांक 14.10.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ही कार्यवाही की जा रही है। अतः अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी खारिज किया जाता है। हस्तगत प्रकरण बहस अंतिम सुनी जाने का निर्णय लिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता राजपैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 379/790 रकबा 53.10 बीघा एंव खसरा नम्बर 1294/379 रकबा 13.00 बीघा कुल 66.10 बीघा भूमि राजकीय माडी बाई महिला महाविधालय नागौर के स्वत्वाधिकार उपयोग एंव उपभोग की भूमि है। यह महाविधालय सार्वजनिक है, इसलिए महाविधालय की भूमि सार्वजनिक भूमि है। राजकीय माडी बाई महिला महाविधालय नागौर की उक्त सार्वजनिक भूमि पर कतिपय लोगो द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लेने एंव कब्जाकृत स्थल पर अतिक्रमण की नियत से धर्म की आड में अनाधिकारपूर्वक तथाकथित तकिया/मजार बना लेने और ऐसे तकिया/मजार के उपर 31 X 35 वर्ग फीट में टीनशेड निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत की सत्यता बाबत सीमाज्ञान करवाने के लिए नाप चौप करके अनुभवी एंव दक्ष राजस्व कार्मिकों तथा भू.अ. निरीक्षक एंव पटवारियों की एक टीम तहसीलदार नागौर ने गठित कर इस टीम से प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण टीम ने प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण कर अपनी सर्वे रिपोर्ट दिनांक 04.10.2017 को तैयार कर प्रार्थी कार्यालय में प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार अप्रार्थी एंव कतिपय अन्य लोगो द्वारा राजकीय महिला महाविधालय को आंवटित एंव सार्वजनिक उपयोग एंव उपभोग की भूमि पर अनाधिकार पूर्वक 20 X 18–1/2 वर्ग फीट क्षेत्र

कलक्टर, नागौर

में अतिक्रमण की नियत से धर्म की आड में अनाधिकारपूर्वक तथाकथित तकिया/मजार एंव ऐसे तकिया/मजार पर 31 X 35 वर्ग फीट क्षेत्र पर एक टीनशेड का निर्माण कर लिया है। ऐसा निर्माण सर्वे टीम ने नवनिर्मित माना है। सार्वजनिक उपयोग एंव उपभोग की पूर्वोक्त वर्णित्त भूमि पर अनाधिकार पूर्वक धार्मिक स्थल का निर्माण कर लेने पर कानून एंव शांति व्यवस्था के मद्देनजर सभी सम्प्रदायों के मौजीज मौतबिरान के साथ बैठक कर इसका शांतिपूर्ण निदान निकालने बाबत उच्च प्रशासनिक स्तर पर बैठक आयोजित की गयी। ऐसी बैठक में आपसी बातचीत में हुई सहमति पर कोई क्रियान्विति निर्धारित समय अवधि में नहीं हुई अतः एक सम्प्रदाय विशेष के साथ पुनः अनवान अली असगर बनाम राज्य जरिए जिला कलक्टर नागौर एंव अन्य पेश कर दिया। माननीय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के यहां दिवानी विविध प्रकरण संख्या 117/17 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 39 आदेश 1 व 2 नियम सीपीसी अनवान अली असगर बनाम राज्य जरिए जिला कलक्टर नागौर एंव अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2017 से आदेश पारित किया है जिसके अनुसार प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दु आंशिक रूप से अपने हक में साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थी अली असगर के द्वारा पेश हस्तगत प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण विधिक प्रक्रिया अपनाकर सक्षम आदेश पारित किये बगैर वादग्रस्त मजार/दरगाह पर किये गए निर्माणात को हटाने अथवा क्षतिग्रस्त करने की कार्यवाही न करें। न्यायालय यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि अप्रार्थीगण विधि अनुसार स्वंय में निहित अधिकारों एंव शक्तियों का प्रयोग कर विधि अनुसार कोई भी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगें। माननीय सिविल न्यायालय के पूर्वाक्त निर्णय के अनुसरण में अप्रार्थी एंव कतिपय अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित धार्मिक स्थल (तकिया/मजार) को विधिक प्रक्रिया के अध्यधीन ही हटाया जाना है। अप्रार्थी एंव अन्य द्वारा सार्वजनिक उपयोग एंव उपभोग की भूमि पर जिला कलक्टर की बिना अनुमति लिए स्थायी प्रकृति का तथाकथित धार्मिक स्थल बना लिया है। सार्वजनिक भूमि पर एंव बिना अनुमति के करवाया निर्माण अतिक्रमण की परिभाषा में आने से ऐसा अनाधिकारपूर्वक किया गया एंव करवाया गया धार्मिक स्थल निर्माण हटाये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर राजकीय माडी बाई महिला महाविधालय नागौर स्वत्वाधिकार एंव सार्वजनिक उपयोग एंव उपभोग की प्रकरण हाजा में प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी एंव कतिपय अन्य लोगो द्वारा बनाया गया उक्त तकिया/मजार एंव टीनशेड अनाधिकृत निर्माण को कानूनी प्रावधानों में यथानिहित प्रक्रियान्तर्गत हटाये जाने बाबत कार्यवाही करवावें।

अप्रार्थी सं. 1 वकील ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि आवेदन के पैरा संख्या 1 में अंकित तथ्य लाइल्मी होने से अस्वीकार है, क्योकि खसरा नम्बर 379/790 रकबा 53.10 बीघा एंव खसरा नम्बर 1294/379 रकबा 13 बीघा कुल 66.10 बीघा भूमि राजकीय माडी बाई महिला महाविधालय नागौर के स्वत्वाधिकार की भूमि हो, ऐसा कोई दस्तावेजात प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, बिना दस्तावेजात प्रस्तुत अप्रार्थी को उक्त संबंध में कोई जानकारी व विश्वास नहीं है। राजकीय माडी बाई महिला महाविधालय नागौर की उक्त सार्वजनिक भूमि पर कतिपय लोगो द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लेने एंव कब्जा स्थल पर अतिक्रमण की नियत से धर्म की आड में अनाधिकार पूर्वक तथाकथित तकिया/मजार/दरगाह बना लेने और ऐसे तकिया/मजार/दरगाह के उपर 31 गुणा 35 वर्गफीट में टिनशेड निर्माण की शिकायत छात्र संगठनों व अन्य के द्वारा की गई, एकदम गलत होने से अस्वीकार है, परिवादी द्वारा परिवाद के साथ सूची दस्तावेजात में अंकित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त तथाकथित शिकायत किसी भी छात्र संगठन व अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा आज दिन तक नहीं की गई है, बल्कि कुछ समय से भू माफिया लोगो ने कॉलेज की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के उद्देश्य से बाड बनाकर अतिक्रमण किया था, जिस पर

कलक्टर, नागौर

छात्र संगठनों / अध्यक्ष व अन्य व्यक्तियों ने दिनांक 25.09.2017 को लिखित में शिकायत प्रस्तुत की थी कि नागौर शहर के मध्य स्थित श्री बी.आर.मीर्धा व माडी बाई महाविधालय के पीछे जो कि कॉलेज परिसर की सरकारी भूमि स्थित हैं जिस पर लम्बे समय से शहर के भू माफियाओं की नजर रही है एंव समय समय पर भू माफियाओं ने अतिक्रमण किये है, उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए महाविधालय के छात्र छात्राओं ने लम्बे समय से इनका अतिक्रमण हटवाते आ रहे है लेकिन अभी हाल ही में पुनः भू माफियाओं ने कॉलेज परिसर की भूमि व सरकारी जमीन पर लाठी के बल पर पुनः अतिक्रमण कर लिया है। उक्त शिकायत में भू माफियाओं द्वारा किये अतिक्रमण की शिकायत की थी, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है कि सार्वजनिक भूमि पर कतिपय लोगो द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लेने व कब्जाकृत स्थल पर अतिक्रमण की नियत से धर्म की आड में अनाधिकारपूर्वक तथाकथित तकिया / मजार / दरगाह बना लेने और ऐसे तकिया / मजार / दरगाह बना लेने और ऐसे तकिया / मजार / दरगाह के उपर 31 गुणा 35 वर्गफीट में टीनशेट निर्माण की शिकायत नहीं की, न है। उक्तानुसार शिकायत प्राप्त होने से शिकायत की सत्यता बाबत सीमाज्ञान करवाने के लिए नाप चौप करके अनुभवी एंव दस राजस्व कर्मियों तथा भू अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारियों की एक टीम तहसीलदार नागौर ने गठित कर इस टीम से प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण करवाया, गलत होने से अस्वीकार है, प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का सर्वेक्षण करवाया, ऐसी कोई सूचना मुझ अप्रार्थी अथवा मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को नहीं दी गई है तथा प्रार्थी परिवादी उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा उक्त आवेदन के साथ दिनांक 04.10.2017 की एक सीमा ज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह सीमा ज्ञान रिपोर्ट फर्जी कूटरचित तथा द्वेषपूर्ण भावना से केवल राजस्व कार्यालय में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से तैयार करवाई गई है, जो सीमा ज्ञान रिपोर्ट सिविल न्यायालय में प्रस्तुत सीमा ज्ञान रिपोर्ट से हटकर है। सर्वेक्षण टीम ने प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण कर अपनी सर्वे रिपोर्ट दिनांक 04.10.2017 को तैयार कर प्रार्थी कार्यालय में प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार अप्रार्थी एंव कतिपय अन्य लोगो द्वारा राजकीय महिला महाविधालय को आंवटित एंव सार्वजनिक उपयोग एंव उपभोग की भूमि पर अनाधिकृत पूर्वक 20 गुणा 18.5 वर्गफुट क्षेत्र में अतिक्रमण की नियत से धर्म की आड में अनाधिकृत तथाकथित तकिया / मजार / दरगाह एंव ऐसे तकिया / मजार / दरगाह पर 31 गुणा 35 वर्गफुट क्षेत्र पर टिनशेड का निर्माण कर लिया है। ऐसा निर्माण सर्वे टीम ने नवनिर्मित माना है, एकदम गलत अंकित किया, जो अस्वीकार है। सर्वेक्षण टीम ने कभी भी मौके पर जाकर कोई सर्वे नहीं किया है, न प्रार्थी अथवा मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को सर्वे संबंधी कोई सूचना दी गई, सर्वेक्षण टीम ने दिनांक 04.10.2017 की जो सर्वे रिपोर्ट पेश की, वह फर्जी कूटरचित व मिथ्या है तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट मे किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की है, क्योकि दिनांक 04.10.2017 की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की है, वह रिपोर्ट तथा माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.10.2017 से हटकर है, इसके अलावा दिनांक 04.10.2017 की जो रिपोर्ट पेश की है उस पर रामधन भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर है इन्ही रामधन नाम व्यक्ति जो पहले पटवारी नागौर के पद पर पदस्थापित थे, के द्वारा दिनांक 27.11.2002 को उपखण्ड अधिकारी नागौर के आदेश पर तहसीलदार नागौर के समक्ष एक रिपोर्ट जांच कर प्रस्तुत की गई है, उस रिपोर्ट में भी सन् 2002 को रामधन द्वारा मजार का व कमरे का बना होना अंकित किया है, इसके अलावा राजस्व रेकर्ड में भी उक्त मजार दरगाह का हवाला है। सार्वजनिक उपयोग एंव उपभोग की पूर्वोक्त वर्णित भूमि पर अनाधिकार पूर्वक धार्मिक स्थल का निर्माण कर लेने पर कानून एंव शांति व्यवस्था के मद्देनजर सभी सम्प्रदायों के मौजीज मौतबिरान के साथ बैठक कर इसका शांतिपूर्वक निदान निकालने बाबत उच्च प्रशासनिक स्तर पर बैठक आयोजित की गई का जवाब यह है कि सार्वजनिक उपयोग एंव उपभोग की पूर्वोक्त वर्णित भूमि पर अनाधिकृतपूर्वक धार्मिक स्थल का

कलक्टर, नागौर

निर्माण कर लेने की बात पर कोई बैठक नहीं की गई बल्कि सामाजिक तत्वो द्वारा दरगाह मजार व टिनशेड पर तोड फोड की गई, जिस पर शहर का माहौल खराब होने की सम्भावना हो गई थी, शहर का माहौल खराब नहीं हो, इसलिए बैठक की गई थी, जिस बैठक में सभी सम्प्रदायों के मौजीज व्यक्तियों के साथ साथ माननीय जिला कलक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक साहब, उपखण्ड अधिकारी व सभी प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें सर्व सहमति से यही निर्णय लिया गया था कि दरगाह/मजार जो कि बना हुआ है, उसको किसी प्रकार से नहीं हटाया जायेगा तथा माननीय जिला कलक्टर महोदय स्वंय ने उक्त मीटिंग में घोषणा की कि दरगाह/मजार को नहीं हटाया जायेगा, दरगाह/मजार की जायगा को छोड चारो तरफ खंदक लगा दी जायेगी तथा उतर दिशा में अलग से रास्ता दिया जायेगा तथा यह सब शांतिपूर्वक तय हुआ था। निर्णय दिनांक 14.10.2017 को पारित किया गया, सही होने से स्वीकार है। माननीय सिविल न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में अप्रार्थी एंव कतिपय अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित धार्मिक स्थल (तकिया/मजार/दरगाह) को विधिक प्रक्रिया के अध्ययधीन ही हटाया जाना है, गलत होने से अस्वीकार है। सिविल न्यायालय ने कभी भी मजार/तकिया को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है तथा विधि का भी प्रतिपादित सिद्धान्त है कि जहां प्रकरण सिविल न्यायालय में चला जाता, वहां उक्त निस्तारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जाना है तथा जहां प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, वहां श्रीमान् को कोई आदेश पारित करने का भी विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी एंव अन्य द्वारा सार्वजनिक उपयोग एंव उपभोग की भूमि पर जिला कलक्टर की बिना अनुमति लिए स्थायी प्रकृति का यथाकथित धार्मिक स्थल बना लिया, सार्वजनिक भूमि पर एंव बिना अनुमति के करवाया निर्माण अतिक्रमण की परिभाषा में आने से ऐसा अनाधिकारपूर्वक किया गया एंव करवाया गया धार्मिक स्थल निर्माण हटाये जाने योग्य है, गलत होने से अस्वीकार है, अप्रार्थी अथवा अन्य द्वारा सार्वजनिक उपयोग एंव उपभोग की भूमि पर कोई स्थायी प्रकृति का तथाकथित धार्मिक स्थल तो मुझ अप्रार्थी के जन्म से पूर्व से ही बना हुआ है, जो भारत आजादी से पूर्व से बना हुआ है, उस वक्त न जिला कलक्टर होते, न कोई ओर इसलिए उस वक्त कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती थी तथा उक्त दरगाह सार्वजनिक भूमि पर नहीं है, बल्कि हनीफ खां के स्वामित्व की भूमि है तथा उक्त दरगाह/मजार का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में व सरकारी दस्तावेजात में वर्षो से है। उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 11 (अ) सपठित धारा 12 राजस्थान धार्मिक भवन एंव स्थल अधिनियम 1954 की परिभाषा व अधीन नहीं आता है, क्योंकि प्रार्थी परिवादी द्वारा राजकीय माडी बाई महिला महाविधालय नागौर की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर तकिया/मजार/दरगाह बना लेने का आरोप लगाया गया है जो गलत व निराधार है, तथाकथित तकिया/मजार/दरगाह खसरा नम्बर 379 पर बहुत पुराना व सैकडो वर्षो से स्थित है, जो तथ्य सरकारी दस्तावेजात से तथा मौखिक साक्ष्य सबूतों से साबित है, प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नक्शा ट्रेस किश्तवार मौजा नागौर सन 1958–59 में भी खसरा नम्बर 379 मे एम मार्क से मजार दर्शाया गया है, राजस्व रेकर्ड परिवर्तित निर्धारण संवत् 2053 में हनीफ खां पुत्र हनीफ खां का व मजार का परिवर्तित निर्धारण संवत 2053 हनीफ खां पुत्र हनीफ खां का व मजार का अंकन है, इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी नागौर के पत्र क्रमांक 1354 दिनांक 04.06.2002 पर सन 2002 में पटवारी नागौर द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें भी महिला महाविधालय को भूमि जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें भी महिला महाविधालय को भूमि जो आंवटित हो चुकी है, उस पर पक्की ढाणी के रूप में कमरा व मजार स्थित है, अंकन है, इस पर उक्त दरगाह मजार पुराना होने से उक्त अधिनियम में नहीं आता है। खसरा नम्बर 379 मे सें 10.05 बीघा भूमि न्यायालय अदालत श्री मोहनसिंह राजपुरोहित आरएएस सहायक जिलाधीश नागौर द्वारा प्रकरण बअनवान हनीफ खां बनाम सरकार निर्णय दिनांक 21.12.1968

कलक्टर, नागौर

के द्वारा खातेदार घोषित किया गया था तथा उक्त दरगाह उस वक्त भी थी तथा सार्वजनिक भूमि पर नहीं है बल्कि हनीफ खां की खातेदारी की भूमि पर है, जो निर्णय अंतिम है, हनीफ खां के उक्त निर्णय व खातेदारी की जमीन को राजकीय माडीबाई कॉलेज नागौर को आंवटन होने पर व अन्य कारण से हनीफ खां ने राजस्व अपील अधिकारी नागौर में अपील संख्या 18 / 2002 प्रस्तुत की, जिस अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने निर्णय दिनांक 19.06.2004 को पारित कर अप्रार्थी राज्य सरकार को पाबंद किया गया, जो निर्णय भी अंतिम है, इस प्रकार उक्त दरगाह / मजार हनीफ खां के खातेदारी की भूमि है, सार्वजनिक कॉलेज की भूमि पर नहीं है इसलिए भी उक्त अधिनियम लागू नहीं होता है। उपखण्ड अधिकारी नागौर अथवा श्रीमान् के समक्ष राजकीय माडीबाई कॉलेज अथवा छात्र अध्यक्ष अथवा किसी भी व्यक्ति ने आज दिन तक ऐसी कोई शिकायत लिखित में नहीं की है कि अप्रार्थी अली असगर अथवा अतिचारी व्यक्तियों द्वारा कॉलेज भूमि पर अतिक्रमण करके मजार / दरगाह का निर्माण कर लिया है क्योंकि सभी को पता है उक्त दरगाह / मजार पुराने है, कॉलेज अध्यक्ष छात्रों ने कुछ अन्य भू माफियाओं ने कॉलेज भूमि पर बाड करके अतिक्रमण किया, उस संबंध में शिकायत की, लेकिन उपखण्ड अधिकारी ने यह झुठा परिवाद बनाकर पेश किया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी अली असगर ने उक्त मजार / दरगाह की रक्षा करने तथा धार्मिक भावना जुडी होने से बचाने व सुरक्षा की दृष्टि से एक सिविल दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है, जो दावा अली असगर बनाम राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर, तहसीलदार नागौर, उपखण्ड अधिकारी नागौर से वाद संख्या 123 / 2017 विचाराधीन है, जिसकी आगामी तारीख पेशी 04.01.2018 को नियत है, इस प्रकार अली असगर ने जब आप श्रीमान् के विरूद्ध उक्त भूमि के संबंध में सिविल दावा प्रस्तुत कर रखा है तथा वह विचाराधीन है तो श्रीमान् को कोई निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है।

खसरा नम्बर 379 में तथाकथित मजार / दरगाह वर्षो पुरानी है जिसमें असामाजिक तत्वों व कॉलेज अध्यक्ष व छात्रों द्वारा तोड फोड की गई जिस संबंध में दिनांक 03.10.2017 को श्रीमति वहीदा पत्नी हनीफ खां ने पुलिस थाना नागौर में एफआईआर नम्बर 422 / 2017 दर्ज करवाई थी, जिस एफआईआर पर अनुसंधान अधिकारी द्वारास विस्तृत जांच करके दरगाह की घटना को मानकर कुल आठ लोगो के खिलाफ 143, 341, 323, 427, 452, 435 व 295 आईपीसी में चालान माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिन तथ्यों से भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन में अंकित कथन कि कॉलेज भूमि पर नया मजार / दरगाह बनाकर अतिक्रमण किया है विश्वसनीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में दिनांक 23.10.2017 को उपरोक्त अनवान प्रकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि मजार / दरगाह की जमीन को राजकीय माडी बाई महिला महाविधालय नागौर के स्वत्वाधिकार एंव सार्वजनिक उपयोग उपभोग की होना माना है, वही उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा माननीय सिविल न्यायालय नागौर में विचाराधीन प्रकरण अली असगर बनाम राज्य सरकार में दिनांक 07.10.2017 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर तथाकथित वादग्रस्त जायगा दरगाह / मजार आदि जायगा को अंगौर की भूमि होना माना है तथा उक्त भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एंव माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय से प्रतिबंधित भूमि माना है, इस प्रकार परिवादी / प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी सिविल न्यायालय में उक्त भूमि को अंगौर की प्रतिबंधित भूमि बता रहे है, वही उपखण्ड अधिकारी माननीय न्यायालय हाजा में उक्त विवादित भूमि को कॉलेज की स्वत्वाधिकार एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि बता रहे है, इस कारण भी उपखण्ड अधिकारी / परिवादी का उक्त आवेदन विश्वासहीन व निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तथाकथित विवादित दरगाह / मजार स्थित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय व अन्य न्यायालयों में वर्तमान में

कलक्टर, नागौर

प्रकरण विचाराधीन है तथा उक्त भूमि दरगाह/मजार के स्वामित्व व विवाद के संबंध में जो भी निर्णय किया जाना है वह सिविल न्यायालयों द्वारा ही किया जाना है तथा सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का अंतिम निर्णय होने से पूर्व माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह विधि विरूद्ध है तथा उससे न्याय का हनन होना है, इस आधार पर माननीय न्यायालय हाजा को कोई आदेश पारित नहीं कर प्रार्थी का आवेदन निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 379/790 रकबा 53.10 बीघा एवं खसरा नम्बर 1294/379 रकबा 13 बीघा कुल 66.10. बीघा भूमि राजकीय माडी बाई महिला महाविद्यालय नागौर के स्वत्वाधिकार उपयोग व उपभोग की भूमि है। यह महिला महाविद्यालय सार्वजनिक है, इसलिए महाविद्यालय की भूमि सार्वजनिक भूमि है। उक्त भूमि राजकीय महिला कालेज नागौर के नाम होना ग्राम नागौर तहसील नागौर जिला नागौर की जमाबन्दी खाता संख्या नई 808 संवत् 2065 से 2068 साबित है।

उक्त राजकीय माडी बाई महिला महाविद्यालय नागौर की सार्वजनिक भूमि पर कतिपय लोगो द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लेने के संबंध में छात्र संगठनों द्वारा शिकायत करने पर तहसीलदार नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 3.10.17 के द्वारा श्री बलदेवराम मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर एवं श्रीमति माडी बाई राजकीय बालिका महाविद्यालय नागौर के नाम सम्पूर्ण आवंटित भूमि के सीमाज्ञान करवाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकगण एवं पटवारीगण कुल 7 कार्मिकों की टीम का गठन किया गया। उक्त आदेश की पालना में उक्त कार्मिकों द्वारा दिनांक 4.10.2017 को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर राजस्व रिकार्ड के मुताबित कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 379/790 एवं 1294/379 कुल रकबा 66.10 बीघा माडी बाई महिला महाविद्यालय नागौर के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना पाया। मौके पर गठित टीम द्वारा सीमांकन किया गया। जिसके अनुसार माडी बाई महिला महाविद्यालय नागौर की भूमि में दक्षिण की तरफ वहीदन का निर्माणशुदा कमरा 11 X 8–1/2 फीट एवं मजार 20 X 18–1/2 फीट निर्माण पाया। मजार के उपर टीनशेड 31 X 35 फीट में बना हुआ पाया। संलग्न नक्शा नकल ट्रेस किश्तवार सन् 1958–59 की दिनांक 3.10.2017 को जारी प्रति के अनुसार दिनांक 4.10.2017 को सीमाज्ञान रिपोर्ट में संकेत बिन्दु 2 में मार्क एम– मजार एवं मार्क आर–कमरा दर्शाया गया है, जो कि माडी बाई महिला कॉलेज नागौर के खसरा नम्बर 379/790 एवं 1294/379 में स्थित होना पाया गया है। उक्त निर्माण अतिक्रमण की नियत से धर्म की आड़ में अनाधिकार पूर्वक किया गया है।

वकील अप्रार्थी का कथन की वादग्रस्त तकीया/मजार/दरगाह खसरा नम्बर 379 में बहुत पुराना व सैकड़ों वर्षो से स्थित है। परन्तु उक्त संबंध में वकील अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया की उक्त तकीया/मजार आदि भू प्रबन्ध अथवा भू प्रबन्ध से पूर्व स्थित रहे हो एवं उक्त तकीया एवं मजार के मालिकाना हक के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

खसरा परिवर्तनशील से यह तथ्य प्रकट होता है कि किस खसरे पर किस व्यक्ति का किस–किस वर्ष में अतिक्रमण रहा है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील संवत् 2043 (सन् 1986) में यद्यपि खसरा नम्बर अंकित नहीं है, परन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा परिवर्तनशील में खसरा नम्बर 379 ही होना बताया है। उक्त खसरा परिवर्तनशील के अनुसार संवत् 2043 में अतिकमी का नाम हनीफ खा तथा मजार बटाउ पीर तकीया अंकित है, परन्तु इसी खसरा परिवर्तनशील में आगे के संवत 2046, 2047, 2048, 2049 में अतिकमी का नाम हनीफ खा द्वारा काश्त किया जाना दर्ज है, उक्त संवत् मजार बटाउ पीर तकीया का

कहीं उल्लेख नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि संवत् 2043 के पश्चात उक्त खसरा में मजार बटाउ पीर नहीं रही है।

वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 379 में से 10.05 बीघा भूमि के संबंध में सहायक जिलाधीश नागौर द्वारा प्रकरण बअनुवान हनीफ खां बनाम सरकार निर्णय दिनांक 21.12.1968 के द्वारा खातेदार घोषित किया गया था तथा उक्त दरगाह उस वक्त भी थी तथा सार्वजनिक भूमि पर नहीं बल्कि हनीफ खां की खातेदारी की भूमि पर है। हनीफ खां के उक्त निर्णय व खातेदारी की जमीन को राजकीय माडीबाई कॉलेज नागौर को आवंटन होने पर व अन्य कारण से हनीफ खां ने राजस्व अपील अधिकारी नागौर में अपील संख्या–18/2002 प्रस्तुत की जिस अपील में निर्णय 19.06.2004 को पारित कर राज्य सरकार को पाबन्द किया गया, जो निर्णय अंतिम है। इस प्रकार उक्त दरगाह/मजार हनीफ खां के खातेदारी भूमि पर है, सार्वजनिक कॉलेज की भूमि पर नहीं है।

उक्त संबंध में तथ्य यह है कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2004 को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील एलआरएक्ट संख्या–55/2004 में आदेश दिनांक 19.10.2004 के द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगित रखा गया है। खसरा नम्बर 379 में से बलदेवराम मिर्धा कॉलेज नागौर एवं माडीबाई महिला कॉलेज नागौर को आवंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य शेष भूमि जो 10.17 बीघा भूमि है के संबंध में हनीफ खां का न्यायालय में उक्त विवाद रहा है। वर्तमान में जो प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है वह माडी बाई महिला कॉलेज नागौर के खसरा नम्बर 379/790 एवं 1294/379 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण से संबंधित है, जो उक्त हनीफ खां की विवादित भूमि से पृथक है।

इस प्रकार माडी बाई महिला कॉलेज नागौर के खसरा नम्बर 379/790 एवं 1294/379 की सार्वजनिक भूमि पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित निर्माण बिना अनुमति के किया हुआ होना साबित है। राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम, 1954 के अनुसार बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर निर्माण किया जाना प्रतिबंधित है, इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित निर्माण में से केवल मजार के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुऐ शेष समस्त निर्माण यथा चबूतरा, टीनशेड इत्यादि को हटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या–1 अली असगर को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित निर्माण में से मजार के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुऐ शेष अतिक्रमण यथा चबूतरा, टीनशेड इत्यादि को यथाशीघ्र हटा लेवे। उप अधीक्षक पुलिस वृत नागौर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की तारीख से एक माह की समाप्ति के पश्चात अप्रार्थी संख्या–1 अली असगर द्वारा उपरोक्तानुसार निर्माण नहीं हटाया जाता है, तो वह राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम, 1954 के प्रावधान के तहत उक्त उपरोक्तानुसार निर्माण को हटवाया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रमाणित प्रति उप अधीक्षक पुलिस वृत नागौर व तहसीलदार नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर